

Higher Education

Dr. Mukesh Pancholi

(D) निजी विश्वविद्यालय –

निजी विश्वविद्यालयों को यूजीसी द्वारा अनुमोदित किया जाता है यह विश्वविद्यालय यूजीसी विनियम/मानक, 2003 द्वारा विनियमित होते हैं, यह यूजीसी की धारा 22 के तहत डिग्री देने के लिए सक्षम होते हैं। इन्हें शिक्षण संस्थान/कॉलेज को संबद्ध (Affiliate) करने का अधिकार नहीं है।

Distance Learning Programme की शुरुआत यूजीसी की पूर्व स्वीकृति के बाद ही शुरू किया जा सकता है।

इन विश्वविद्यालयों को पाठ्यक्रम की संरचना, सामग्री शिक्षण व सीखने की प्रक्रिया, परीक्षा व मूल्यांकन प्रक्रिया, छात्रों के प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड सहित स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा कार्यक्रम से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी यूजीसी को शुरु करने से पहले देगा।

नोट -

निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 तथा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 आदि के माध्यम से केन्द्र व राज्य सरकार के अधिनियम के अधीन की गई है।

भारत में सर्वाधिक निजी विश्वविद्यालय वाला राज्य 'राजस्थान' है, 51 in Nos. July 2009 तक 333 वास्तव में स्थापित [334 को मान्यता 31 March 2009 तक] Global University अभी तक स्थापित नहीं हुई, मान्य दे दी गई है Feb. 2019 में]

29 में से 24 राज्यों में निजी विश्वविद्यालय है।

Dr. Mukesh Parashar

(E) अन्य –

उपरोक्त विश्वविद्यालयों के अलावा, अन्य संस्थानों को स्वायत्त रूप से डिग्री प्रदान करने की अनुमति दी गई है, ये संस्थान ना तो संबद्ध महाविद्यालय, ना ही अधिकारिक रूप से 'विश्वविद्यालय' कहे जाते है। बल्कि ये 'स्वायत्त संगठन संस्थान' कहलाते है। ये उच्च शिक्षा विभाग के नियंत्रण में आते है।

इनमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंध संस्थान, भारती विज्ञान व अनुसंधान संस्थान आदि।

(II) संगठनात्मक ढांचे के आधार पर –

(i) आवासीय विश्वविद्यालय –

आवासीय विश्वविद्यालय को सामान्यतः एकात्मक शिक्षण विश्वविद्यालय भी कहा जा सकता है। परंतु इन्हें दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है -

(A) एकात्मक शिक्षण विश्वविद्यालय –

ऐसे विश्वविद्यालयों के केन्द्रीय परिसर के अंदर ही समस्त अध्ययन अध्यापन कार्य संपन्न किए जाते हैं, ऐसे विश्वविद्यालय एक निश्चित स्थान पर केन्द्रित होते हैं। अध्यापकों की नियुक्ति, पाठ्यक्रम का निर्धारण, प्रशासन, परीक्षा, उपाधि देने का कार्य विश्वविद्यालयों के नियंत्रण में रहता है।

(B) संघात्मक विश्वविद्यालय –

एकात्मक शिक्षण विश्वविद्यालयों में कार्य उनके निश्चित परिसर में ही संपन्न होता है, जबकि संघात्मक विश्वविद्यालयों (Autonomous College) व सहयुक्त कॉलेजों (Constituent College) भी होते हैं, जहां पर शिक्षण कार्य संपन्न होता है, इसी कारण संघात्मक विश्वविद्यालयों को महाविद्यालयों का परिसर (Complex of College) भी कहते हैं।

प्रायः संघात्मक विश्वविद्यालय परिसर में स्नातकोत्तर, अनुसंधान कार्य हेतु व्यवस्था की जाती है। जबकि इसके घटक/अंग महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम चलते हैं।

सभी सहयुक्त महाविद्यालयों में प्राचार्य विश्वविद्यालय की सीनेट व परिषदों के सदस्य होते हैं। इन सभी महाविद्यालयों पर विश्वविद्यालय बाह्य नियंत्रण रखता है। ये सभी महाविद्यालय इसी विश्वविद्यालय के निर्देशन में कार्य करते हैं। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, इंदौर आदि संघात्मक विश्वविद्यालय के उदाहरण हैं।

Dr. Mukesh

(ii) संबद्ध विश्वविद्यालय (Affiliated Universities) –

ऐसे विश्वविद्यालय जिनके केन्द्रीय परिसर में शिक्षण कार्य नहीं होता और यह कार्य उसके द्वारा संबद्ध कॉलेजों में संपन्न किया जाता है, जिन्हें संबद्ध विश्वविद्यालय कहते हैं। ऐसे विश्वविद्यालय केवल महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान करते हैं, पाठ्यक्रमों को लागू करते हैं। परीक्षाओं का संचालन करते हैं व उपाधि वितरण का कार्य करते हैं।

आगरा विश्वविद्यालय, कानपुर, अवध, बुंदेलखंड, आंध्रप्रदेश, गुजरात विश्वविद्यालय इसी प्रकार के उदाहरण हैं।

(iii) आवासीय संबद्धक विश्वविद्यालय (Residential Cum-Affiliating University) –

ऐसे संबद्धक विश्वविद्यालय जिनके केन्द्रीय परिसर में कुछ पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। उन्हें आवासीय संबद्धक, विश्वविद्यालय कहते हैं। इसमें मेरठ, गोरखपुर, नागपुर, कोलकत्ता, पुणे विश्वविद्यालय प्रमुख हैं।

(III) शिक्षण प्रक्रिया के आधार पर –

(i) पारंपरिक विश्वविद्यालय –

ऐसे सभी विश्वविद्यालय जो अपनी स्थापना के उपरांत लगभग उसी स्वरूप को आज तक बनाए हुए हैं, व शिक्षण की पारंपरिक परंपराओं का निर्वाह कर रहे हैं। उन्हें पारंपरिक विश्वविद्यालय कहा जाता है। प्रायः सभी विश्वविद्यालय इसी श्रेणी में आते हैं।

(ii) मुक्त विश्वविद्यालय –

यह एक ऐसा प्रयास है, जो औपचारिक विधियों के द्वारा बहुत ही बड़ी संख्या में ऐसे छात्रों को शिक्षित करने का प्रयास है, जो औपचारिक शिक्षा की छत्र-छाया से बाहर रहते हैं।

मुफ्त विश्वविद्यालय ऐसे विश्वविद्यालय होते हैं, जो दूरस्थ शिक्षा के उद्देश्य से स्थापित किए जाते हैं। ऐसे विश्वविद्यालयों में प्रवेश, नामांकन की नीति खुली/शिथिल होती है अर्थात् विद्यार्थी को अधिकांश स्नातक स्तर के प्रोग्रामों में प्रवेश के लिए पूर्व शैक्षिक योग्यताओं की जरूरत का बंधन नहीं लगाया जाए।

इतिहास -

खुले विश्वविद्यालय का विचार सर्वप्रथम J. C. Stobart द्वारा जो कि शिक्षाविद् व इतिहासकार है, 1925 में इन्होंने, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन को Letter/Memo भेजा, जिसमें इन्होंने एक 'Wireless University' के Concept पर चर्चा की।

- विश्व की पहली Open University 1969 में यूके में स्थापित हुई थी। (1971 में पंजीकरण/प्रवेश शुरु)
- इसका प्रबंधन वॉल्टन हॉल, मिल्टन किन्स, बंकिघम से होता था।
- भारत पहला देश था, जिसने यूके के बाद इस खुले विश्वविद्यालय के विचार की तरफ ध्यान दिया।
- दिसम्बर 1970 में शिक्षा व सामाजिक कल्याण मंत्रालय व सूचना व प्रसारण मंत्रालय व यूजीसी के सहयोग से एक सेमिनार का आयोजन किया गया, कार्यक्रम का नाम 'अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक वर्ष' रखा गया।

- इस सेमिनार का उद्घाटन V.K.R.V.R. ने किया, जो कि उस समय के शिक्षामंत्री थे। इन्होंने खुले विश्वविद्यालय के विचार का समर्थन किया।

भारत में 1 Central + 14 State Open Universities व 75 नियमित विश्वविद्यालय व अन्य कई संस्थाएं दूरस्थ अध्ययन कार्यक्रम चलाते हैं। दूरस्थ शिक्षा पद्धति कई श्रेणियों के शिक्षार्थियों, जैसे कि –

- a) पढ़ाई देरी से शुरू करने वाले
- b) जिनके घर के पास उच्च शिक्षा संस्थान नहीं है
- c) सेवारत व्यक्तियों
- d) अपनी शैक्षिक योग्यताएं बढ़ाने के इच्छुक व्यक्तियों को लाभ प्रदान कर रही है।

खुले विश्वविद्यालय ऐसे लचीले पाठ्यक्रम विकल्प देते हैं, जिनमें वे प्रवेश ले सकते हैं, जिनके पास कोई औपचारिक योग्यता नहीं, किंतु अपेक्षित आयु (प्रथम डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए 18 वर्ष) के हो चुके हैं और लिखित प्रवेश परीक्षा भी उत्तीर्ण कर चुके हैं।

अधिकांश अध्ययन सामग्री मुद्रित व नोडल केन्द्रों पर मल्टीमीडिया सुविधा सेटअप/दूरदर्शन/रेडियो के माध्यम से अध्यापन करवाया जाता है। ये विश्वविद्यालय स्नातक, पाठ्यक्रम, स्नातकोत्तर, M. Phil, Ph.D व डिप्लोमा व प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम भी चलाते हैं जो कि Carrier oriented होते हैं।

भारत के मुक्त विश्वविद्यालय –

1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
(केन्द्रीय खुला विश्वविद्यालय)
2. डॉ. बी. आर. अंबेडकर खुला विश्वविद्यालय, हैदराबाद,
आंध्रप्रदेश
3. वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा, राज.
4. नालंदा खुला विश्वविद्यालय, पटना, बिहार
5. यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र खुला विश्वविद्यालय,
नासिक, महाराष्ट्र
6. मध्यप्रदेश भोज खुला विश्वविद्यालय, भोपाल, मध्यप्रदेश
7. डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर खुला विश्वविद्यालय,
अहमदाबाद, गुजरात

8. कर्नाटक राज्य खुला विश्वविद्यालय, मैसूर, कर्नाटक
9. नेताजी सुभाष खुला विश्वविद्यालय, कोलकत्ता
10. उ. प्र. राजश्री टंडन खुला विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
11. तमिलनाडु खुला विश्वविद्यालय, तमिलनाडु
12. पंडित सुंदरलाल शर्मा खुला विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़
13. उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखंड
14. के.के. हैंडकि, राज्य विश्वविद्यालय, गुवाहाटी, असम
15. ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, संबलपुर, उड़ीसा

इतिहास –

भारत में मुक्त विश्वविद्यालय का आरंभ वर्ष 1982 में आंध्रप्रदेश डॉ. बी. आर. अंबेडकर Open University की हुई, जिसे आज तेलंगाना Open University भी कहा जाता है। इस विश्वविद्यालय के संस्थापक G. Ram रेड्डी थे और (प्रथम कुलपति भी)।

G. Ram रेड्डी – दूरस्था शिक्षा के प्रसिद्ध वास्तुकार व भारत में खुली शिक्षा के जनक (UGC के अध्यक्ष 1990-95)

IGNOU के प्रथम कुलपति (1985-90), आंध्रप्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति (1982-85)

24 अक्टूबर 1991 को इस विश्वविद्यालय का नाम (आंध्रप्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय) बदलकर डॉ. बी. आर. अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय रखा गया।

विशेषताएं –

- इसके छात्र बनने के लिए किसी डिग्री या प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है।
- किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति प्रवेश ले सकता है।
- प्रवेश की न्यूनतम आयु पहले 18 वर्ष थी अब 16 वर्ष है।
- ऐसे विश्वविद्यालयों का कोई परिसर नहीं होता।
- शिक्षा ग्रहण करने के लिए कोई समय पाबंदी नहीं।
- सेवारत रहते हुए भी शिक्षा ग्रहण की जा सकती है।

लाभ –

C.B. Padyman ने मुक्त विश्वविद्यालय के लाभ निम्न बताए –

1. इस प्रकार के विश्वविद्यालय भारत में खुलने से परम्परागत विश्वविद्यालयों का बोझ कम हो जाएगा, व शिक्षण स्तर में सुधार आएगा।
2. इन विश्वविद्यालयों से देश के आर्थिक, सामाजिक सुधारों का नियोजन संभव होगा।
3. इस प्रकार के विश्वविद्यालयों से प्राप्त शिक्षा की सहायता से जीवन में आर्थिक उन्नति होगी।